कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल।

क्रमांक / अधि0 / एनएचएम(6) / एम.सी. / 2019 भोपाल, दिनांक 05 / 12 / 2019

आदेश

स्वीकृत कार्ययोजना 2019–20 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमो (शिशु शल्य क्रिया ईकाई (आरबीएसके), ऑब्सट्रिटक आई0सी0यू और एसएनसीयु इकाई) में रिक्त पदों पर गॉधी मेडिकल कॉलेज भोपाल हेतु निम्नलिखित अभ्यार्थी को अधिष्ठाता द्वारा गठित समिति द्वारा चयनीत एवं मुख्य प्रशासकिय अधिकारी (मिशन संचालक के द्वारा अनुमोदित) एनएचएम भोपाल के पत्र क्रमाक / एनएचएम / एचआर / 2019 / 11934, भोपाल दिनांक 16 / 10 / 19 के द्वारा पदो पर दिये गये अनुमोदन अनुसार निम्नलिखित अभ्यार्थीयो को कार्यभार ग्रहण करने के तारिख से दिनांक से संविदा के स्टॉफ नर्स के पद पर रूपये 20000 / –(बीस हजार) प्रतिमाह की दर पर नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	आवेदक का नाम	पिता / पति का नाम	पता	जति	पदस्थाना स्थल
1	कु0 रुखसार शेख	पिता श्री स्व0 शेख करीम	वार्ड नं 06 डुंगरिया, तहसील जुन्नारदेव, जिला छिंदवाड़ा	सामान्य	ऑब्सट्रिटिक आइसीयू सुल्तानिया अस्पताल भोपाल
2	कु0 बबीता पवार	पिता श्री मनोज पवार	C/o किंग टेलर जेरी चौक शोभापुर पाथाखेड़ा बैतूल	सामान्य	एसएनसीयू शिशुरोग, कमला नेहरू चिकित्सालय गा0चि0महा0 भोपाल
3	कु0 श्रद्धा उइके	पिता श्री धनराज उइके	तहसील किसनपुर जिला बालाघाट (म.प्र.)	अनु0 जाति	एसएनसीयू शिशुरोग, कमला नेहरू चिकित्सालय गा0चि0महा0 भोपाल

यह नियुक्ति दिनांक 31 मार्च 2020 तक के लिये की जाती है।
संविदा नियुक्ति निम्नलिखित सेवाशर्तो के आधार पर की जा रही है।

संविदा अवधि एवं संविदा नियम :–

1. शासकीय चिकित्सा गॉधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंर्तगत विभिन्न कार्यक्रमो संविदा पदों पर नियुक्ति एवं सेवा शर्ते, मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निर्देशानुसार होगी।
2. संविदा पदों पर नियुक्ति, नियुक्ति आदेश दिनांक से वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अर्थात 31 मार्च 2020 तक के लिये होगी।
3. संविदा सेवा की अवधि अधिकतम 31.03.2020 तक के लिये वैद्य होगी।
4. वार्षिक कार्य अधारित मुल्याकंन में योग्य पाये जाने पर संविधा अनुबंध को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन म.प्र. द्वारा स्वीकृत अवधि के लिये बढाया जा सकेगा ।
5. संविदा अनुबंध के आधार पर नियमितीकरण संबधि कोई मांग या दावे कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी गांधी चिकित्सा महाविद्यालय,स्वशासी समिति, को स्वीकार्य नही होगें।
6. संविदा अनुबंध के लिये न्युनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम् आयु 60 वर्ष होगी ।आयु की गणना अनुबंध वर्ष के दिनांक 1 जनवरी से की जायेगी।

अनुबंध के पश्चात की कार्यवाही :–

7. संविदा कर्मवारी के लिये यह अनिवार्य होगा कि अनुबंध आदेश जारी होने के 15 दिवस के अंदर अधिष्ठाता कार्यलय, एनएचएम शाखा, गॉधी चिकित्सा महाविद्यालय को पर सूचित कर, मूलदस्तावेजो का प्रमाणीकरण एवं परिक्षण एवं चिकित्सीय जॉच उपरान्त ही कार्यस्थल पर उपस्थिती देगे। निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण करने की दशा के नियुक्ति स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी।
8. यदि किसी न्यायोचित कारणवश निर्धारित अवधि में पदभार ग्रहण करने में विलंभ होता है तो संविदा कर्मचारी द्वारा लिखित में अनुबंधकर्ता अधिकारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी। यह अवधि अधिकतम् एक माह तक के लिये मान्य की जा सकेगी। निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण करने की दशा के नियुक्ति स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी।
9. प्रथम संविदा पर चरित्र सत्यापन – सविदा पद पर चयनीत कर्मचारी को नियुक्ति के समय राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
10. प्रथम संविदा पर चिकित्सकीय जॉच – पद पर नियुक्ति के पूर्व अभ्यार्थी को मेडिकल फिटनेस हेतु जिला चिकित्सीय बोर्ड या गॉधी चिकित्सा महाविद्यालय के मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। चिकित्सीय परिक्षण में उपयुक्त पाये जाने पर ही संविदा वैध होगी।
11. गर्भवती महिलाओं को प्रथम संविदा नियुक्ति पर अस्थायी रूप से अयोग्य माना जायेगा। प्रसूति उपरान्त अधिष्ठाता द्वारा संविदा पर कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी जा सकेगी। प्रसुति उपरान्त प्रथम वर्ष के लिये गये प्रसूति अवकाश को अवैतानिक माना जावेगा।
12. अनुबंध पूर्व अभ्यार्थी को राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित निम्न दस्तावेज का छायाप्रति के साथ मूल दस्तावेज भी प्रमाणीकरण हेतु प्रस्तुत करने होगे।
    12.1 हाईस्कुल सार्टिफिकेट परिक्षा (10+2) की अंकसूचि
    12.2 द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा/डिग्री की अंकसूचि
    12.3 सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध डिजिटिल जाति प्रमाण पत्र
    12.5संविदा पद हेतु अनिवार्य/वांछनीय कार्य अनुभव प्रमाण पत्र
    12.5संविदा पद हेतु निर्धारित अर्हता संबधी अन्य प्रमाण पत्र
13. उपरोक्त समस्त दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर एवं परीक्षण के दौरान अथवा नियुक्ति उपरान्त भी दस्तावेजो के असत्य पाये जाने पर अभ्यार्थी की नियुक्ति अमान्य की जा सकेगी। दस्तावेज परिक्षण उपरान्त समस्त अर्हतायें सही पाये जाने पर पदस्थापना आदेश अधिष्ठाता गॉधी चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा जारी किया जायेगा तदनुसार सभी चयनीत व पदस्थ अभ्यार्थी गॉधी चिकित्सा महाविद्यालय में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन म प्र के संविदा पर नियुक्त कर्मचारी होगे।
14. अधिष्ठाता और गॉधी चिकित्सा महाविद्यालय में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन म प्र के संविदा पर नियुक्त कर्मचारी के मध्य नियोक्ताकर्ता के संबन्ध होगें परन्तु सेंवाऍ मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निर्देशानुसार होगी । गॉधी चिकित्सा महाविद्यालय में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन म प्र के संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को सेवायें प्रदान करने के बदले में मिशन द्वारा निर्धारित एक मुश्त मानदेय राशी प्राप्त करेगें । किसी भी स्थिती में उन्हें नियमित व चिकित्सा महाविद्यालय की स्वशासी समिति का सेवा का पात्रता हासिल नही होगी।
15. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन म प्र से चयनित सेवा प्रदाता संवर्गो के लिये मापदण्ड को निर्धारण कर अतिरिक्त कार्य आधारित प्रोतसाहन राशी पात्रता अनुसार देय होगी।
16. अनुबंध अनुसार संविदा कर्मचारी को उनके पदस्थपना स्थल पर निवास करना आवश्यक होगा।

17. संविदा कर्मचारी को शासन के समस्त राष्ट्रीय कार्यक्रमो के संचालन एवं गा0चि0महा0 द्वारा आदेशीत कार्यो में सकिय रूप से भाग लेना होगा। ऐसे कार्यक्रमो में भाग नही लेना कदाचार माना जावेगा।
18. संविदा कर्मचारी द्वारा नियुक्ति उपरान्त कदाचरण करने अथवा किसी भी अपराधिक गतिविधि या कृत्य में लिप्त होने पर नियुक्ति अधिकारी द्वारा सुनवाई का युक्तीयुक्त अवसर देने के पश्चात संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
19. अधिष्ठाता द्वारा परिस्थितीजन्य कारणों से अनुबंध एक माह की पूर्व सूचना अथवा एक माह का संविदा मानदेय की समतुल्य राशी का भुगतान कर या मिशन संचालक एनएचएम मप्र से प्राप्त निर्देशानुसार समाप्त की जा सकेगी।
20. संविदा कर्मचारी द्वारा किसी कारणवश यदि संविदा अवधि के दौरान त्यागपत्र दिया जाना हो तो अधिष्ठाता कार्यलय को एक माह की पूर्व सूचना अथवा उक्त समिति के खाते में उक माह के संविदा मानदेय की समतुल्य राशी जमा करना होगी।
21. संविदा कर्मचारी पर अधिष्ठाता एवं अधिक्षक संबद्व अस्पताल तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन म0प्र0 द्वारा संचालित युनिट के विभागाध्यक्ष के प्रशायकीय नियंत्रण में होगा। उनके द्वारा सौपे गये दायित्वो का पालन करना अनिवार्य होगा।

अनुबंधः–

22. संविदा कर्मचारी द्वारा नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात नियुक्ति प्राधिकारी के साथ रू 100/– के गैरन्यायिक बंधपत्र पर अनुबंध निषपादन किया जाना होगा।
23. उपरोक्त अनुबंध नियुक्ता और संविदा कर्मचारी के मध्य निषपादित किया जायेगा।
24. अनुबंध के निषपादन पर किया जाने वाला व्यय चयनित अभ्यार्थी द्वारा वहन किया जायेगा।
25. चयनित अभ्यार्थी को उसकी पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से संविदा सेवा में माना जायेगा।
26. संविदा अवधि कि समाप्ति पर संचालित युनिट के विभागाध्यक्ष द्वारा कार्य अधारित मुंल्याकन के आधार पर योग्य पाये जाने पर एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन म0प्र0 द्वारा मिले निर्देशानुसार संविदा अवधि वृद्वि की जा सकेगी। इस हेतु संविदा अवधि के वृद्वि निर्धारण की सूचना पश्चात अनुबंध का नवीनकरण किया जाना आवश्यक होगा। नवीनीकरण के समय संविदा कर्मचारी को राशी रू 100/. के गैर न्यायिक बंध पत्र पर अनुबंध निष्पादित करना अनिवार्य होगा। संविदा अवधि के निरंतता के लिये चयनित अभ्यार्थी के बंध नवीनीकरण की शर्त का पालन करना अनिवार्य होगा। अनुबंध नवीनिकरण के निषपादन पर किया जाने वाला व्यय चयनित अभ्यार्थी द्वारा वहन किया जायेगा।
27. अनुबंध अवधि में दी गई सेवाओं के लिये कोई पेंशन, ग्रेजेयूटी, बोनस अन्य किसी भी प्रकार के स्वत्तो अथवा नियमित शासकिय एवं स्वशासी सेवाओ के दावें आदि की पात्रता नही होगी।
28. अनुबंध के आधार पर सेवा में नियमितीकरण का अधिकार नही होगा।
29. मूल मासिक मानदेय :– राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन म0प्र0 द्वारा संविदा संवर्ग हेतु निर्धारित मूल मासिक मानदेय उस संवर्ग हेतु देय न्युनतम राशी होगी। पूर्व से कार्यकर रहें संविदा कर्मचारियों को प्रतिमाह मानदेय वृद्वि अनुसार मासिक भुगतान किया जायेगा।
30. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विभिन्न कार्यकमो में पदों पर गॉधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में नियुक्त संविदा कर्मचारियो को प्रति माह एक मुश्त मासिक मानदेय राशी का ई–भुगतान किया जायेगा।

31. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमो में गॉधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में वर्तमान में स्वीकृत पदों एवं भविष्य में प्रस्तावित पदो के लियें मिशन संचालक म0प्र0 से प्राप्त निर्देशानुसार मूल मासिक मानदेय या मानदेय वृद्धि का निर्धारण या संशोधन किया जायेगा।

भत्तें :–

32. मंगाई भत्ते, गृहभाडा भत्ता,चिकित्सा भत्ता, वाहनभत्ता एवं अन्य भत्तों की पात्रता नही होगी।
33. यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्तों –संविदा कर्मचारी द्वारा आदेशित शासकीय कार्य पर यात्रा करने पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत निर्धारित प्रावधान अनुरूप यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्तें की पात्रता होगी।
34. इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी भत्ते की पात्रता नही होगी।

मासिक मानदेय में कटौत्रा

35. टी.डी.एस और **ईपीएफ** – संविदा कर्मचारी की मासिक मानदेय राशी में नियमानुसार आयकर और **ईपीएफ** कटौत्रा किया जायेगा।

अवकाश

36. संविदा पर नियुक्त कर्मचारीयों को नियमानुसार एक वर्ष की अवधि में 13 दिन के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी। एक माह में अधिकतम 3 दिवस के अवकाश की पात्रता होगी। 3 दिवस से अधिक कार्य दिवस हेतु लिये गये निरंतर अवकाश को अवैतनीक माना जायेगा।
37. मुख्यालय छोडने की स्थिती में संविदा कर्मचारी द्वारा लिखित में आवेदन प्रस्तुत कर गॉधी चिकित्सा महाविद्यालय में संचालित युनिट के विभागाध्यक्ष की स्वीकृति उपरान्त कर मान्य होगी।
38. चिकित्सीय अवकाश– संविदा पर नियुक्त कर्मचारीयों को नियमानुसार एक वर्ष में अधिकतम् 15 दिन के चिकित्सीय अवकाश की पात्रता होगी। 3 दिवस से अधिक चिकित्सीय अवकाश हेतु राजपत्रित चिकित्सा अधिकारी का निर्धारित प्रारूप में चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। 7 दिवस से अधिक चिकित्सा अवकाश हेतु जिला चिकित्सा बोर्ड या स्वसाशी अस्पताल के मेडिकल बोर्ड चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। चिकित्सीय अवकाश नही लिये जाने की स्थिती में आगामी वर्ष में अग्रणित नही होगा।
39. प्रसुति अवकाश– संचालनालय के परिपत्र क/1/विज्ञप्त/सेल/संविदा/2012/2122 दिनांक 11/12/2012 के अंतर्गत म0प्र0 सिविल सेवा अवकाश नियम 1977 के नियम 38(1) के अनुरूप संविदा महिला अधिकारी एवं कर्मचारियों को 180 दिवस की प्रसूति अवकाश की पात्रता होगी। प्रसुति अवकाश प्रथम दो जीवित संतानो तक ही देय होगा। मातृत्व अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार अधिष्ठाता का होगा।
40. पितृत्व अवकाश :– पुरूष अधिकारी एवं कर्मचारियों को 15 दिवस के पितृत्व अवकाश की पात्रता होगी। यह अवकाश अवधि निर्धारित आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त होगी। पितृत्व अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार अधिष्ठाता का होगा।

अन्य नियम :–

41. संविदा नियुक्ति पर नियुक्त कर्मचारी बिना सक्षम अधिकारी के पूर्वानुमति/निर्देश के कोई भी सुचना/जानकारी किसी अन्य व्यक्ति अथवा विभाग को किसी भी माध्यम से नही दुंगा तथा कार्यलय की गोपनीयता को भंग नही करूंगा।

42. संविदा सेवा अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के अन्य संस्थानो /कार्यलयों में कार्य करने अथवा व्यक्तिगत तौर पर किसी भी प्रकार के व्यापार करना प्रतिबेधित होगा।
43. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को समय समय पर सौपे गये समस्त कार्यलयीन कार्य संपादित करने होगें।
44. अनुबंध उपरान्त नियुक्त संविदा कर्मचारी द्वारा कदाचार या किसी अपराधिक गतिविधि में लिप्त होने पर नियुक्तिकर्ता अधिकारी या संबद्ध अस्पताल के अधिक्षक द्वारा उक्त कर्मचारी की संविदा नियुक्ति बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी।
45. यदि संविदा पर नियुक्त कोई कर्मचारी बिना किसी विशिष्ट कारण के ओर बिना किसी सूचना के अपने कर्तव्य से एक माह के लिये अनुपस्थित रहता है तो उसकी संविदा अनुबंध ऐसी अनुपस्थिती की तिथि से स्वतः ही समाप्त माना जायेगी।
46. संविदा कर्मचारी की नियुक्ति अथवा संविदा अवधि में किसी भी प्रकार की विवाद की दशा में स्थानीय न्यायलय की अधिकारिता होगी।
47. प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से निर्देशानुसार शासकीय अवकाश के दिवसो पर भी आवश्यकता पडने पर संविदा कर्मचारी को उपस्थित होना पडेगा।
48. अपरिहार्य परिस्थिती में संविदा कर्मचारी के स्वीकृत कर्मचारी के स्वीकृत अवकाश को स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा निरस्त किया जा सकता है।
49. यदि संविदा कर्मचारी जिसकी दो से अधिक संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ वह पद के लिये नियुक्ति के लिये पात्र नही होगा।(म0प्र0 सामान्स प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्र.सी 3--8–2006–3–एक दि0 3जुलाई 2006)

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय,
स्वशासी समिति, भोपाल

क्रमांक / अधि0 / एनएचएम(6) / एम.सी. / 2019 /4845-52 भोपाल, दिनांक ~~05~~ 11 / 12 / 2019

प्रतिलिपि :– सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. आयुक्त, चिकित्सा सेवायें सतपुडा भवन भोपाल।
2. मिशन संचालक, एनआरएचएम म0प्र0 अरेरा हिल्स भोपाल।
3. अधिक्षक, हमीदिया चिकित्सालय भोपाल।
4. अधिक्षक, सुल्तानिया जनाना अस्पताल भोपाल।
5. विभागाध्यक्ष, शिशु शल्यकिया विभाग गॉधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल।
6. विभागाघ्सक्ष स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, गॉधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल।
7. विभागाध्यक्ष शिशु रोग विभाग, गॉधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल।
8. संबधित कुमारी / श्रीमती ....
....की ओर पालनार्थ।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी